

## भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लि० झांसी द्वारा झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या-27 मेडिकल तिराहा से चिरगांव बाईपास के पास पहाडी बुजुर्ग तक 21.400 किमी० बांयी ओर (CH-1396+100 is 1417+500 KM) के सामानान्तर ए० जी० एल० प्राकृतिक गैस 200 एमएम डाया कार्बन स्टील पाईपलाईन बिछाने हेतु प्रभावित 0.642 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/143750/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-82/81-2-2023-800(339)/2022 दिनांक 19 मई 2023 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

Signed by आशीष तिवारी

Date: 18-05-2023 17:59:01

Reason: Approved

हस्ताक्षर

( )

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण वन एवं  
जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।